न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर

व इजलास श्री दिनेश शर्मा आरएएस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं० 47 / 2022

1–ताहिरा पत्नि रमजान जाति मेव निवासी ग्राम भण्डारा तहसील कामां जिला भरतपुर ।

2–रामेश्वर पुत्र रतनलाल जाति अहीर निवासी कस्बा कामां तहसील कामां

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां (भरतपुर) राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक – 01.06.2023

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0रा0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि [illegible] खसरा नम्बर 445 / 0.65 हैक्टेयर का था जिसका पूर्व मे आराजी खसरा नम्बर 343 [illegible] जिसका रकबा 0.65 थी [illegible] कि सड़क के सहारे है जिस पर प्रार्थीगण का [illegible] चला आ रहा है । जिसमें प्रार्थीगण [illegible] आराजी की रखवाली हेतु एक अस्थायी झोपड़ी बना रखी है [illegible] किया चला आ रहा है । सैटलमेन्ट के दौरान [illegible] बिना मौके व बिना किसी स्पष्ट प्रमाण के [illegible] गलत इन्द्राज कर दिया जबकि पुराने खसरा नम्बर [illegible] पूर्व ही 343 [illegible] 343 [illegible] के टुकड़े कर दिये गये थे [illegible] खसरा नम्बर 343 0.65 के दो टुकड़े थे [illegible] मालिकान के राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 445 [illegible] 343 [illegible] उसी नक्शा ट्रेस मे [illegible] व खसरा नम्बर 44[illegible] हमेशा रहा [illegible] नक्शा ट्रेस मे सड़क के सहारे [illegible] के विपरीत दर्ज किया गया है [illegible] नकल नक्शा ट्रेस [illegible] दिनांक 22.9.22 को [illegible] हासिल [illegible] इस कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करना [illegible]

[illegible] खसरा नम्बर 445 / 0.65 की नक्शा ट्रेस मे [illegible] लगता हुआ खसरा नम्बर 447 / 0.65 के स्थान पर दर्ज किया [illegible] को खसरा नम्बर 445 के स्थान पर नक्शा ट्रेस राजस्व रिकार्ड मे [illegible] जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार कामां की ओर से जबाव प्राप्त हुआ है कि प्रार्थीगण ताहिरा [illegible] रमजान जाति मेव व रामेश्वर पुत्र रतनलाल जाति अहीर ने साबिक [illegible] 65) पर इस आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया [illegible]

आ0ख0नं0 447/1.24 एवं 447/1.24 के स्थान पर 445 /0.65 नवीन नक्शा में शुद्धि किया जावे । जिसमे पटवारी हल्का नन्देरा की रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :-

1-यह है कि साबिक खसरा नम्बर 343 के तीन नम्बर बने हैं। खसरा नम्बर 1766/343 रकवा 0.65, 1767/0.05 रकवा 0.65 व 1768/343 का रकवा 1.24 हैक्ट0 है ।

2-यह है कि साबिक खसरा नम्बर 1766/343 रकवा 0.65 हैक्ट0 का हाल नम्बर 446/0.65 बना है । जिसके खातेदार अकबर पुत्र उसमान, अमीना, खालिद वगैरा दर्ज रिकार्ड है । जो नवीन नक्शा शीट कब्जा सही दर्शाया गया है ।

3-यह है कि साबिक खसरा नम्बर 1767/343 रकवा 0.65 हैक्टर जिसका नवीन नम्बर 445/0.65 बनाया गया है । जिसके खातेदार ताहिरा पत्नी रमजान जाति मेव व रामेश्वर पुत्र रतनलाल जाति अहीर दर्ज रिकार्ड है जो नवीन नक्शा शीट में गलत दर्शाया गया है ।

4-यह है कि साबिक खसरा नम्बर 1768/343 रकवा 1.24 हैक्टर जिसका नवीन नम्बर 447/1.24 हैक्टर बनाया गया है । जो राजस्व रिकार्ड में मकबूजा चारागाह जरिये महकमा कस्टोडियन हिस्सा पूर्ण रिकार्ड है जो नवीन शीट मे गलत दर्शाया है ।

5- यह है कि साबिक खसरा नम्बर 343 की साबिक खसरा नम्बर 343 की साबिक नक्शा शीट तरमीम नहीं हो रही है ।

6-यह है कि हाल खसरा नम्बर 445/0.65 व 447/1.24 की बीच की मेंड की तरमीम सही तरमीम सही अंकित नहीं की है ।

प्रार्थीयान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी सं0 2074'71, 2068-71, पहचान पत्र, आधार कार्ड, नक्शा ट्रेस सलग्न किया है ।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेज का मनन किया तथा तहसीलदार कामां की तथा बिन्दुबार रिपोर्ट पेश की है । रिपोर्ट में बताया है कि आराजी खसरा नम्बर 445/65 व 447/1.24 में मौका अनुसार डोटेड लाइन (तरमीम)किया जाना उचित होगा आराजी खसरा नम्बर 447/1 व 447/2 का कुल रकवा 1.24 हैक्टर मकबूजा चाराग[illegible] महकमा कस्टोडियन हि0 पूर्ण रहेगा । आराजी खसरा नम्बर 445/0.65 ताहिरा पत्नि रमज[illegible] जाति मेव निवासी भण्डारा हि01/2 व रामेश्वर पुत्र रतनलाल जाति अहीर 1/2 सा0 क[illegible] कामां खातेदार रहेगा । जिसे शुद्ध किया जाना उचित होगा ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जमाबन्दी में मौका रिकार्ड के अ[illegible] आराजी खसरा नम्बर 445/0.65 व 447/1.24 में मौका अनुसार डोटेड लाइन (त[illegible] किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 447/1 मिन एवं 447/2 मकबूजा चारागाह म[illegible] कस्टोडियन, हि0 पूर्ण रहेगा । आराजी खसरा नम्बर 445/0.65 ताहिरा पत्नी रमजान मेव निवासी भण्डारा हि0 1/2 व रामेश्वर पुत्र रतनलाल जाति अहीर हि0 1/2 सा0 कामां खातेदार को शुद्ध किया जाता है । प्रकरण फैसल [illegible] बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.06.20[illegible]